न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/08

लटूर आत्मज मन्ना लाल जी जाति मीना निवासी ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बद्री पुत्र जेराम जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. लटूर आत्मज स्व0 बद्री ।
   1/2. भोजी आत्मज स्व0 बद्री ।
   1/3. राधेश्याम आत्मज स्व0 बद्री ।
   1/4. गोबरी पुत्री स्व0 बद्री ।
   1/5. बिरजी बाई विधवा आत्मज स्व0 बद्री निवासीगण ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. कालू पुत्र जेराम जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. गोबरी लाल आयु 37 वर्ष आत्मज स्व0 कालू ।
   2/2. राजेन्द्र आयु 35 वर्ष आत्मज स्व0 कालू ।
   2/3. साहब लाल आयु 33 वर्ष आत्मज स्व0 कालू ।
   2/4. छाहन्या बाई पुत्री स्व0 कालू ।
   2/5. रामनाथी बाई पुत्री स्व0 कालू ।
   2/6. सुगना पुत्री स्व0 कालू ।
   2/7. पाना पत्नी स्व0 कालू निवासीगण ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 मृतक बद्री ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 91, 92ए एवं 188

के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मूण्डली तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या 56 खसरा नम्बर 49 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 214 रकबा 07 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा खाता संख्या 32 खसरा नम्बर 39 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा, खात संख्या 57 खसरा नम्बर 288 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 301 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 352 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 445/214 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा कुल 04 किता की रकबा 39 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 1.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 544 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा नम्बर 547 रकबा 0.40 हैक्टर कुल किता 05 की रकबा 4.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 की रकबा 5.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 395 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.06 हैक्टर कुल 04 किता रकबा 1.72 हैक्टर भूमि स्थित है । वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई बहिन हैं मोती पुत्र देवलाल जैराम के जीवनकाल में ही लाऔलाद फौत हो गया था उसने अथवा उसकी पत्नी चम्पा ने अपने जीवनकाल में कालू पुत्र जैराम को कभी भी गोद नहीं लिया । कालू ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके स्वयं का नाम मोती व चम्पा के पुत्र के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया साथ ही जैराम के पुत्र के रूप में भी उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है । प्रतिवादी क्रम 1 राजस्व रिकॉर्ड में उक्त इन्द्राज की आड में भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है व वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर भी ऋण लेने पर आमादा है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उसका तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वादी के हिस्से में आई भूमि पर से प्रतिवादी क्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2008 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बर 141 की 1.71 हैक्टर भूमि में 2/3 हिस्से का खातेदार कृषक होने से उसका वाद वर्णित आराजी में हित निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से अपीलान्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पडा है । अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित पक्षकार होना कथन किया है । वादग्रस्त आराजी का अपीलान्ट सहखातेदार है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2008 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकारान बनाये बिना मिथ्या तथ्यों के आधार पर वादी ने अपना वाद डिक्री करवा लिया । अपीलान्ट प्रस्तुत वाद में सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्षकार बनाये बिना वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दावा कानूनन पोषनीय नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.12.2013 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज हैं फिर भी उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपीलान्ट ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की है । दावा दायरी के समय खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर में 2/3 हिस्सा अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज है । यह तथ्य वादी रेस्पोडेन्ट की जानकारी में था । वादग्रस्त आराजी सन् 2000 में अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट कम 2 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । रेस्पोडेन्ट का खसरा नम्बर 141 की 2/3 हिस्सा पर कब्जा नहीं था, कब्जे के अभाव में उनका दावा स्थायी निषेधाज्ञा का इस आराजी के बाबत् चलने योग्य नहीं था । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2008 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी देवलाल के खाते में दर्ज थी । देवलाल के 2 पुत्र हुए मोती और जैराम । मोती लाऔलाद फौत हुआ है और उनकी पत्नी चम्पा भी फौत हो चुकी है । मोती ने कभी भी कालू को गोद नहीं लिया उनकी सम्पत्ति जैराम को मिलनी चाहिए थी परन्तु कालू ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करके अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा ली लेकिन वादग्रस्त आराजी में बद्री वादी का 1/2 हिस्सा निहित है । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिनमें पुरूष उत्तराधिकारी होने पर महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । कालू ने अपने हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय किया है उनका हिस्सा वादग्रस्त आराजी में 1/2 है । इस सीमा तक विक्रय पत्र वैध है तद्नुसार खसरा नम्बर 141 के 1/2 हिस्से में अपीलान्ट का नाम दर्ज किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2008 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादी मृतक बद्री लाल ने वादग्रस्त आराजी में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा विभाजन की सहायता नहीं मांगी और न ही विभाजन की सहायता दी गई है । संयुक्त खाते की आराजी में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । जबकि संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती ।

14. यहॉ यह भी विचारणीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 प्रदर्श– 5 संलग्न है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 136 का उल्लेख है जिसके अनुसार आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 1.71 हैक्टर आराजी के 2/3 हिस्सा पर अपीलान्ट लटूर का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ है । इसके अनुसार लटूर वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज हैं और दावे में आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.03.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा